

आउटकम बजट 2018-19

विभाग के अन्तर्गत प्रस्तावित एस0डी0जी0— SDG-1, SDG-5, SDG-9, SDG-11, SDG-16 & SDG-17

विभाग का नाम— सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आई0टी0डी0ए0)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले / बजट		SDG Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट) वर्ष 2018-19	01.04.2017 की स्थिति (बैंस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
1.	क्षेत्रीय विस्तार नेटवर्क (स्वान) का क्रियान्वयन	योजना में खतंत्र सरकारी नेटवर्क स्थापित कर इसके माध्यम से G2C एवं G2G सेवाएं उपलब्ध कराई जायेगी।	1500.00	1500.00	SDG 9	<ul style="list-style-type: none"> बैंडविड्थ अपग्रेडेशन तहसील / ब्लॉक— 10Mbps - 11 sites बैंडविड्थ अपग्रेडेशन तहसील / ब्लॉक पोप— 34Mbps -- 28 sites बैंडविड्थ अपग्रेडेशन जनपद 50Mbps - 13 DHQ तकनीकी मानव संसाधन तैनात— 230 प्लाइट ऑफ प्रिज़ेन्स (पोप) केन्द्र— 133 प्लाइट ऑफ प्रिज़ेन्स केन्द्र संचालन— 135 हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी राज्य सुख्यालय— 1000 रेडियो फिर्केसी सेटअप — 135 पोप नेटवर्क का पूर्ण अपग्रेडेशन 	<ul style="list-style-type: none"> बैंडविड्थ ब्लॉक / तहसील स्तर 2 Mbps वर्टीकल बैंडविड्थ राज्य सुख्यालय से जनपद मुख्यालय स्तर 10 Mbps तकनीकी मानव संसाधन तैनात— 197 प्लाइट ऑफ प्रिज़ेन्स (पोप) केन्द्र— 133 हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी — 1098 हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी में होस्ट— 3647 NKN से एकीकरण जनपद मुख्यालय— 10 स्वान से आचान्दित मुख्य विभाग — 30 	<ul style="list-style-type: none"> स्वान के अन्तर्गत कनेक्टेड राजकीय विभागों/ कार्यालयों/ इकाईयों के ई-शासन कार्य प्रणाली तथा कार्य सम्पादन में वृद्धि। 	एक वर्ष
2.	राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण	<p>राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा सूचना प्रौद्योगिकी पहल से राज्य में आई0टी0 का सुदृढ़ीकरण</p> <p>मा0 मुख्यमंत्री डैश बोर्ड के अन्तर्गत सभी विभागों को सम्मिलित किया जायेगा। एन.टी.आर.ओ. भारत सरकार से आरम्भ में पांच वर्ष तथा एन.सी.आई.आई.पी.सी. के साथ एक वर्ष के एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है, जिनके माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी भवन में ड्रोन तकनीकी पर शोध तथा प्रशिक्षण हेतु लैब एवं साईबर सिक्योरिटी पर प्रशिक्षण हेतु केन्द्र की स्थापना कर IT क्षेत्र के छात्रों/ प्रोफेशनल को 6 माह का प्रशिक्षण तथा उसके उपरान्त रोजगार का अवसर प्राप्त होगा।</p>	400.00		SDG 9 SDG 8 SDG 5	<ul style="list-style-type: none"> आई0टी0 भवन तथा आई0टी0डी0ए0 कार्यालय का संचालन एवं अनुरक्षण। मानव संसाधन तैनात— 23 भवन अनुरक्षण — 1 डैश बोर्ड / एप्लीकेशन्स संचालन 1 डैश बोर्ड पर विभागों के के.पी.आर. जोड़ना 15 नेशनल इनफारमेशन सेंटर के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित नेटवर्क उपकरणों का अनुरक्षण— 1 जनपद <p>—NTRO, भारत सरकार के माध्यम से ड्रोन एप्लीकेशन एवं शोध लैब का संचालन— 1 — एन.सी.आई.आई.पी.सी. के माध्यम से साईबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण केन्द्र का संचालन— 1 25-25 के बैच में छ: माह का प्रशिक्षण</p>	<ul style="list-style-type: none"> सूचना प्रौद्योगिकी भवन में आई0टी0 की गतिविधियों—स्टेट डाटा सेंटर, स्वान संचालन केन्द्र से ई-गवर्नेंस/ गुड गवर्नेंस तथा नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सेवाएं प्रदान करना। मुख्यमंत्री डैश बोर्ड की स्थापना कर विभागों तथा परियोजनाओं की अनुश्रवण कर विभागीय कार्यक्रमता में वृद्धि, पारदर्शिता, एकाउटेबिलिटी में सुधार। जनपद हविहार में एन.आई.आई. के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर तक हॉरिजॉन्टल कनेक्टिविटी प्रदान करना। 	एक वर्ष	
3.	नेशनल ई-गवर्नेंस योजना क्रियान्वयन	केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न अवयवों यथा— स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना, कॉमन सर्विस सेन्टरों की स्थापना, ई-डिस्ट्रिक्ट का क्रियान्वयन एवं राज्य में क्षमता विकास	500.00		SDG 8 SDG 9 SDG 5	<ul style="list-style-type: none"> स्टेट डाटा सेंटर — 01 SDC कॉमन सर्विस सेंटर संचालन 9750 CSC सी.एस.सी. के माध्यम से नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का विस्तार B2C & G2C ई-डिस्ट्रिक्ट के अन्तर्गत उपलब्ध सेवाएं पौड़ी— 15 E-Dist के अन्तर्गत सेवाएं अन्य जनपद— 8 Common Application Portal (CAP) विकसित करना। E-Dist में निस्तारित आवेदन—33.80 लाख CAP पर राज्य के विभिन्न विभागों से सम्बन्धित चिह्नित सेवाओं को आरम्भ करना। 	<ul style="list-style-type: none"> राज्य के नागरिकों को विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली राजकीय सेवाओं को नागरिकों के निकट इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराते हुए डिजिटल इण्डिया की परिकल्पना को पूर्ण करना। नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं में पारदर्शिता/ गति तथा गुणवत्ता सुनिश्चित कर ई-गवर्नेंस एवं गुड गवर्नेंस की स्थापना। CSC संचालन से ग्रामीण उद्यमियों को स्वरोजगार का साधन उपलब्ध कराना। 	एक वर्ष	

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले / बजट		SDG Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट) वर्ष 2018–19	01.04.2017 की स्थिति (बैस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
4	राज्य के प्रमुख सरकारी कार्यालयों / सार्वजनिक स्थलों पर वाई-फाई जोन स्थापित किया जाना	राज्य के प्रमुख सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक स्थलों पर वाई-फाई जोन स्थापित किया जाना		200.00	SDG 8 SDG 9 SDG 5	• राज्य के प्रमुख सरकारी कार्यालयों में वाई-फाई जोन की स्थापना की जायेगी, तथा साथ ही आवश्यक सार्वजनिक स्थलों पर वाई-फाई जोन स्थापित किये जायेंगे।	मसूरी तथा नैनीताल में वाई-फाई जोन की स्थापना।	राजकीय कार्यालयों में डिजिटल वातावरण से कार्यक्षमता को विकसित किया जायेगा।	एक वर्ष
4	ब्लॉक / तहसील स्तर तक वीडियो कान्फेसिंग	जनपद मुख्यालय, ब्लॉक एवं तहसील मुख्यालय तक वीडियो कान्फेसिंग सिस्टम की स्थापना।		236.00	SDG 9	• वीडियो कान्फेसिंग सिस्टम से आच्छादित स्थल (समस्त जनपद मुख्यालय, सचिवालय, तहसील तथा ब्लॉक मुख्यालय एवं हरिद्वार जनपद में ग्राम पंचायत स्तर तक) – 621	• राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा जिला प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (डायट्स) एवं – 11 स्थल	ब्लॉक एवं तहसील स्तर तक परियोजनाओं/ कार्यों की समीक्षा एवं अनुश्रवण से राजकीय कार्यों में गति प्राप्त होगी, राजकीय सूचना तंत्र का सुदृढ़ीकरण होगा तथा ई-गवर्नेंस एवं गुड गवर्नेंस का विकास।	एक वर्ष
	योग		1900.00	2436.00					

राज्य बजट के अतिरिक्त केन्द्र स्कीम इत्यादि के अन्तर्गत कार्य

1	नेशनल इन्फॉरमेशन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर (एन.आई.आई.)	परियोजना के पॉयलट कियान्वयन हेतु देश के 8 जनपदों में जनपद हरिद्वार का चयन किया गया है, जहां पर 220 ग्रामपंचायत में कनेक्टिविटी प्रदान कर प्रत्येक ग्रामपंचायत में न्यूनतम तीन कार्यालयों (विद्यालय, चिकित्सा केन्द्र, आगंनवाणी इत्यादि) को कनेक्टिविटी प्रदान की जा रही है।			SDG 9	• हरिद्वार जनपद मुख्यालय से 6 तहसील/ब्लॉक तक 50Mbps – 6 तहसील/ब्लॉक मुख्यालय • तहसील/ब्लॉक से ग्राम पंचायत स्तर तक 10Mbps – 220 ग्राम पंचायत • ग्राम पंचायत स्तर से हॉरिजॉन्टल ऑफिस 10Mbps – 374 स्थल	–	जनपद हरिद्वार में ग्राम पंचायत स्तर तक तथा उसके अन्तर्गत हॉरिजॉन्टल कार्यालय (सरकारी संस्थाओं) को स्थान नेटवर्क से संयोजित किया जायेगा, जिससे ग्राम पंचायत स्तर तक कनेक्टिविटी का उपयोग कर राजकीय कार्यों का कुशल सम्पादन हो सकेगा।	एक वर्ष
2	प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान	सी0एस0सी0 एस.पी.वी. इण्डिया लिमिटेड के साथ आई0टी0डी0ए0 द्वारा एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किया गया है, जिनके द्वारा राज्य के समस्त कौमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ग्रामीणों को डिजिटल साक्षरता प्रदान किया जायेगा।			SDG 1 SDG 5	• ग्रामण स्तर पर स्थापित CSC – 5900 • डिजिटल साक्षरता प्रदान – 4.51 लाख • अन्य प्रशिक्षण पार्टनर – 14		राज्य के ग्रामण क्षेत्रों में नागरिकों को कॉमन सर्विस सेंटर तथा अन्य प्रशिक्षण पार्टनर के माध्यम से ग्रामीणों को डिजिटल साक्षरता प्राप्त होगी। – 600900 ग्रामीण प्रशिक्षण हेतु CSC संचालक-ग्रामीण उद्यमी को भारत सरकार द्वारा भुगतान किया जायेगा, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय का साधन प्राप्त होगा। – 5900 ग्रामीण उद्यमियों को आय का स्रोत प्राप्त होगा, जिसमें वर्ष में लगभग 1353 लाख की आय प्राप्त होगी।	एक वर्ष
3	एरोस्टेट (बैलून) प्रोजेक्ट	एन.ई.जी.डी. भारत सरकार द्वारा राज्य में एरोस्टेट पायलेट प्रोजेक्ट हेतु वित्त पोषण किया गया है। परियोजना के अन्तर्गत माध्यम से राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में एरोस्टेट (बैलून) के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान की जायेगी।			SDG 9 SDG 17	• आई.आई.टी. मुमंबई के माध्यम से पायलेट परियोजना के रूप में राज्य के शैडो क्षेत्र / डार्क स्पॉट में बैलून की स्थापना।	–	राज्य के दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुविधा का सुदृढ़ीकरण एवं इण्टरनेट सुविधा उपलब्ध कराना। विद्युत आपूर्ति में असुविधा/ प्राकृतिक आपदा/ आपातकालीन परिस्थितियों में भी संचारण की सम्भावना स्थापित हो पायेगी।	एक वर्ष

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउटले / बजट		SDG Goals/ Indicators	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटपुट) वर्ष 2018–19	01.04.2017 की स्थिति (बेस लाइन)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड आउटकम)	समय सीमा
			राजस्व	पूँजीगत					
4	आधार	सभी नागरिकों के आधार पंजीकरण कर विभिन्न विभागों के माध्यम से नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं को आधार प्रयोजित कर नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करना।			SDG 16	<ul style="list-style-type: none"> ● आधार पंजीकरण— 100% ● ग्राम्य विकास के अन्तर्गत मनरेगा हेतु आधार सीडिंग— 100% ● खाद्य एवं आपूर्ति के अन्तर्गत पी.डी.एस. एवं एल.पी.जी. हेतु आधार सीडिंग— 100% ● डी०पी०एल०टी० हेतु आधार सीडिंग— 100% ● समाजकल्याण के विकलांग पेंशन हेतु— 100% ● बैंकिंग के अन्तर्गत जनधन तथा ई.पी.एफ. हेतु— 100% 	<ul style="list-style-type: none"> ● 107 लाख की जनसंख्या के सापेक्ष कुल आधार पंजीकृत—104 लाख ● ग्राम्य विकास के अन्तर्गत मनरेगा हेतु आधार सीडिंग— 99% ● खाद्य एवं आपूर्ति के अन्तर्गत पी.डी.एस. एवं एल.पी.जी. हेतु आधार सीडिंग— 84% ● समाजकल्याण में वृद्धा एवं विधवा पेंशन हेतु— 100% ● समाजकल्याण में विकलांग पेंशन हेतु— ● प्रधानमंत्री जनधन तथा EPF हेतु— 17% ● मनरेगा के अन्तर्गत आधार प्रदत सेवाएँ— 42% ● एल.पी.जी. के अन्तर्गत आधार प्रदत सेवाएँ— 59% ● एन.एस.ए.प. के अन्तर्गत आधार प्रदत सेवाएँ— 10% 	<p>राज्य के नागरिकों का 100 प्रतिशत आधार पंजीकरण कर राज्य के सभी विभागों जिनके माध्यम से नागरिकों को सीधे भुगतान होते हैं, को आधार सीडिंग के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ प्रदान कर ई-गवर्नेंस/ गुड गवर्नेंस स्थापित कर पारदर्शिता एवं त्वरितता प्राप्त होगी। आधार सीडिंग से लाभार्थियों की डुप्लीकेशी होने की सभवना क्षीण होगी, जिससे सरकारी धन का अपव्यय रुकेगा। वास्तविक लाभार्थी को उसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो सकेगा।</p>	3 वर्ष